...योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है कि वादीया रानी व प्रतिवादीया सं0 1 कान्ता ब0हि0ब0– चकनं0 12 एफटीपी ए प0न0 185/244 मु0 29 किला नं0 19 ता 22/1.012, प0न0 184/244 मु0 30 किला नं0 15/.101, 16 ता 19, 21 ता 25/2.277 है0, प0न0 184/245 मु0 31 किला नं0 1 ता 3/.759, प0न0 185/245 मु0 32 किला नं0 2/2/.228 है0 तथा प्रतिवादी सं0 2 सोहनलाल, प्रतिवादी सं0 3 देवीलाल, प्रतिवादी सं0 27 अमीलाल ब0हि0ब0– चक नं0 12 एफटीपी ए के प0न0 185/244 मु0 29 किला नं0 1,10/.506, प0न0 184/244 मु0 30 किला नं0 2 ता 9,12 ता 14/2.783 है0 15/.152, चक नं0 3 डीपीएम के प0न0 184/243 मु0 54 किला नं0 24,16,25/.759 हे0,चक नं0 2 डीपीएम के प0न0 185/243 मु0 63 किला नं0 21/.253, व प्रतिवादीसं0 4 सुरेश कुमार– चक नं0 2 डीपीएम के प0न0 185/243 मु0 63 किला नं0 11,20/.506 तथा प्रतिवादी सं0 5 सुरजीदेवी, प्रतिवादी सं0 6 सचिन, प्रतिवादी सं0 7 अंकिता ब0हि0ब0– चक नं0 12 एफटीपी ए के प0न0 185/244 मु0 29 किला नं0 9,11,12/.759 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम करने व चक नं0 3 डीपीएम के खाता से नोलखसिंह, सरजीतसिंह, हरबंशसिंह,कान्ता का नाम कलमजन व चक नं0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 12,13 से सावित्री, रामस्वरुप,हरबंशसिंह, राजाराम, सरजीतसिंह का नाम कलमजन, चक नं0 16 एफटीपी के खाता सं0 182 से नोलखसिंह का हिस्सा कम, चक नं0 2 डीपीएम व 3 डीपीएम के खाता से सावित्री देवी, कान्ता व अमीलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.6.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Scanned by CamScanner